

Tender Form sale upto 01.00 pm 18-1-2018
Tender Receipt upto 02.00 pm 18-1-2018
Tender Opening 03.00 pm 18-1-2018
Estimated Amount Rs 10.00 Lacs
Earnest Money Rs 1,00,000/-



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड,

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2227267 फैक्स 0141-5115766

Website : www.rajsico.gov.in **E-mail:** rajsico@rajasthan.gov.in

जयपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018, जयपुर

दिनांक 26.01.2018 से 04.02.2018

निविदा सूचना संख्या: ज.उ.ह (पुनः) / 2017-2018 / 7

कार्य का नाम एवं स्थान

कैफेटेरिया, आईसक्रीम एवं ज्यूस 7 क्योस्क मय चना व गुड़िया बाल संचालन करना

धरोहर राशि 1,00,000 /-

“एच” शेड्यूल

निविदा फार्म शुल्क 500 /-

कार्य का विवरण	प्रस्तुत दर पूर्ण अवधि (नियमानुसार जीएसटी अलग से देय होगा)
उत्सव स्थल पर कैफेटेरिया, मय चाय व मिनरल वाटर का संचालन करने हेतु। (कैफेटेरिया में डिस्पोजल क्राकरी, शुद्ध सामग्री का उपयोग करते हुए संचालन करेंगे)	_____

1. विषय जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है।

कैफेटेरिया, आईसक्रीम एवं ज्यूस 7 क्योस्क मय चना व गुड़िया बाल संचालन करना

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम

मैसर्स _____
डाक का पता : _____

व डाक का पता मय टेलीफोन नं. सहित

टेलीफोन नं. : _____
पैन नं. _____
जीएसटी नं. _____

- निविदा सूचना संख्या: ज.उ.ह. / 2018 / 07 जो दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत हैं, तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलंगन पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा पालन करने के लिये हम सहमत हैं।
- धरोहर राशि हेतु दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय राशि _____ रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की संख्या _____ दिनांक _____ सलंगन है
- निविदा में उल्लेखित धरोहर राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक एकमुश्त ही स्वीकार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व पोस्टल पते के साथ
मोबाईल नं.

कैफेटेरिया, आईसक्रीम एवं ज्यूस 7 क्योस्क मय चना व गुड़िया बाल संचालन की शर्त :-

1. नियमानुसार जीएसटी अलग से देना होगा।
2. निविदादाता को बड़े उत्सव, मेला एवं प्रदर्शनी आयोजन में कैफेटेरिया संचालन का अनुभव होना आवश्यक है।
3. उत्सव मैदान में कैफेटेरिया में देशी घी, रिफाईण्ड तेल में आईटम उपलब्ध कराना होगा। सभी सामग्री शुद्ध एवं उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए।
4. प्रयोग में लाये जाने वाले घी, तेल एवं मशाले एगमार्क ब्राण्ड के होने चाहिये।
5. जो भी सामग्री/आईटम कैफेटेरिया में बेचने के लिए रखना चाहते हैं का विवरण सलंगन करें।
6. समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर ही सामग्री विक्रय की जावेगी।
7. शुद्ध पेयजल निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
8. आपके सामान की किसी प्रकार की टूट-फूट कमी-बेसी आदि के जिम्मेदार आप स्वयं की होगी।
9. सामान लाने ले जाने एवं ईंधन इत्यादि का खर्च आप स्वयं का होगा।
10. फर्नीचर एवं क्रॉकरी (डिस्पोजेबल) आदि की व्यवस्था अच्छी किस्म एवं साफ सुथरी स्थिति में संचालित की जानी होगी। डिस्पोजेबल क्रॉकरी कागज से निर्मित होगी। प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत एवं जीएसटी की राशि तुरन्त चैक द्वारा जमा करवाना होगा, तथा शेष 25 प्रतिशत एवं जीएसटी की राशि 23 जनवरी, 2018 तक जमा करना होगी। निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी, एवं ठेका अन्य को दे दिया जावेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अनुज्ञापत्र निविदा के साथ सलंगन करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/अनुज्ञप्ति आवश्यक होने पर निविदादाता स्वयं को प्राप्त करनी होगी एवं सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए कैफेटेरिया का संचालन करना होगा।
13. कैफेटेरिया स्थल की सफाई की पूर्ण व्यवस्था स्वयं खर्च से करनी होगी। इस हेतु काम में लिये गये पेपर डिस्पोजेबल क्रॉकरी, झूठन, ग्लास-कप उपयोग पश्चात् डालने हेतु आवश्यकतानुसार कचरा पात्र रखवाने होंगे।
14. उत्सव संचालन के दौरान समय-समय पर मेला समन्वयक/गठित कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों एवं हिदायतों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
15. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा निविदा तुरन्त रद्द कर अन्य को जारी की जा सकेगी एवम् हर्जाना वसूल किया जा सकेगा।
16. निविदा किसी अन्य को हस्तान्तरण/सबलेट नहीं कर सकेगा।
17. निविदादाता को कैफे संचालन निर्धारित स्थान पर ही करना होगा। निर्धारित स्थान से अतिरिक्त किसी स्थान का उपयोग नहीं कर सकेगा, न ही अन्यत्र स्थान पर कोई फर्नीचर आदि रख सकेगा।
18. स्वीकृति निविदा राशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय करें (मय जीएसटी) का भुगतान करना होगा।
19. निगम अधिकतम दर वाली निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं व किसी भी निविदा व उसके अंश को बिना कोई कारण बताये निगम द्वारा अस्वीकृत की जा सकेगी।
20. निविदा स्वीकृति के तीन दिवस के भीतर 500/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
21. कैफेटेरिया में वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग करना होगा तथा बीमा इत्यादि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
22. विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा व दर जो गठित कमेटी से अनुमोदित की जावेगी उसकी सूची बड़े बोर्ड पर लिख कर सूचना हेतु रखनी होगी अन्यथा शास्ति आरोपित की जावेगी।
23. यदि अन्तिम किश्त सुनिश्चित दिनांक को जमा नहीं कराई गई तो कमेटी द्वारा पूर्व में जमा राशि जब्त करते हुए शास्ति आरोपित की जा सकती है जिसका भुगतान करना होगा। अन्यथा कमेटी उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
24. कैफे हेतु स्थान व विद्युत व्यवस्था निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी शेष समस्त व्यवस्थाये जैसे टेंट, कुर्सीयां, टेबल आदि संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से अपने खर्च से करनी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जावेगी। निर्धारित विद्युत पोइन्ट के अलावा जितने भी अतिरिक्त पोइन्ट व विद्युत का व्यय करेंगे मेला समन्वयक/गठित कमेटी द्वारा निर्धारित राशि संवेदक को भुगतान करनी होगी।
25. भट्टी के पास एवं कैफेटेरिया में संवेदक अपने स्तर पर अग्निशमन यंत्र निर्धारित स्थान पर स्थापित करेंगे एवं किसी प्रकार की दुर्घटना का पूर्ण उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।
26. मेला अवधि के दौरान उद्घाटन, समापन समारोह एवं विशिष्ट व्यक्तियों, माननीय सदस्यों आदि के लिए अल्पहार एवं भोज व्यवस्था का भुगतान कमेटी के द्वारा आदेशित करने पर मेला समापन पश्चात् किया जावेगा इस व्यवस्था हेतु कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
27. मेले में निर्धारित कैफेटेरिया स्थान पर भोजनशाला फास्ट फूड कोन्टीनेटर चाईनीज फुड, छोले भटूरे पानी पुरी आदि की जो स्टाले संवेदक द्वारा लगाई जावेगी उन सबके द्वारा अतिरिक्त विद्युत पाइन्ट लगाकर विद्युत उपयोग में ली जावेगी जो उसका अलग से विद्युत शुल्क चुकाना होगा। यदि सम्पूर्ण

कैफेटेरिया में स्वयं के जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं तो अतिरिक्त पाइन्ट लगाने के चार्ज के अलावा विद्युत व्यय राशि नहीं ली जावेगी ।

28. गठित कमेटी द्वारा ठेके की राशि की प्राप्ति एवं आपको किए जाने वाले भुगतानों का अन्तिम समायोजन किस प्रकार किया जावेगा का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।
29. अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की वजह से उत्सव आयोजन स्थगित या निरस्त भी किया जा सकता है । जिसके लिये निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा जब भी उक्त उत्सव आयोजित किया जायेगा तब समस्त कार्य उक्त निविदा में स्वीकृत दरों पर ही करना होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नामजिला
व पोस्टल पते के साथ
मोबाईल नं.

निविदा के साथ निम्न सलंग्न करें:-

1. धरोहर राशि की रसीद / संख्या व दिनांक
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अनुज्ञापत्र ।

नोट:- यदि निविदा की दरें उचित नहीं पाई गईं तो नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर सूचित किया जावेगा जिसमें निविदादाता का स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि का इस कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है ।